न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 74 आर 15/07–08

श्यामापति देवी वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

संजय टोप्पो प्रतिवादी

आदेश

8

20.05.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 34/2001 में श्री बलराम, विशेष पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 27.01.2003 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
कडरु	115	264	24½ कट्टा

अपील आवेदन में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने निम्न न्यायालय में विवादित जमीन की वापसी हेतु किशोरी पेन्टर, अरुण महली, राजकिशोर महली, शिबु कच्छप, वसन्त महली, जगु महली, जुगल भूईंया, राजेश प्रसाद सिंह, अरुण धोबी एवं महेश भगत के विरुद्ध वाद दायर किया था। अपीलकर्ता को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही नोटिस तामिल किया गया। वर्तमान अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने विवादित जमीन में से 8 डिसमिल निबंधित वसीका संख्या 1986 दिनांक 5.2.1974 को मो0 रसीद खान एवं मो0 शरीफ खान से खरीदा है। अपीलकर्ता क्रमांक 2 ने भी 8 डिसमिल जमीन इन्हीं लोगों से उसी तिथि को क्रय किया है। दोनों अपीलकर्ता ने विवादित जमीन मकान सहित खरीदा है। अपीलकर्ता के विक्रेता ने विवादित जमीन निबंधित वसीका संख्या 6394 दिनांक 5. 12.1958 द्वारा किशुन उरॉव से खरीदा था। अपीलकर्ता के विक्रेता के नाम रॉची नगर निगम में दिनांक 3.5.1962 को होल्डिंग संख्या 1546 कायम हुआ था। विवादित जमीन 1935 से ही मकान घर बारी के रुप में व्यवहृत होता आया है एवं अपीलकर्ता के विक्रेता ने भी 5.12.1958 को किशुन उरॉव से घरबारी ही खरीदा था। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि विवादित जमीन की प्रकृति छपरबंदी है अतः इसमें धारा 71 ए के प्रावधान लागू नहीं होगा। यह भी दावा

किया गया है कि वर्तमान अपीलकर्ता के नाम रॉची नगर निगम एवं अंचल कार्यालय में नामांतरण हो चुका है तथा वे टैक्स एवं लगान भुगतान भी करते आ रहे हैं। अपील आवेदन में यह बताया गया है कि अपीलकर्ता को अभी हाल में निम्न न्यायालय के जमीन वापसी आदेश की जानकारी हुई। छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि निम्न न्यायालय में सिर्फ दो व्यक्ति किशोरी पेंटर एवं जुगल भुईंया उपस्थित हुए थे जिनका विवादित जमीन से कोई संबंध नहीं है। निम्न न्यायालय में शिबु उरॉव ने आवेदक के पहचान पर आपत्ति किया जिसके कारण उसके 4 कट्टा जमीन को छोड़कर शेष 20½ कट्टा जमीन पर ही वापसी का आदेश पारित हुआ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता की ओर से अपील आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का ही उल्लेख किया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय में जमीन वापसी हेतु दस व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। अपीलकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया था। एस ए आर वाद संख्या 34/2001 में दिनांक 27.1.2003 को जमीन वापसी का आदेश पारित हुआ था जिसके विरुद्ध अपील संख्या 75 आर 15/07–08 इसी न्यायालय में एडमिशन के विन्दु पर ही खारिज हो चुका है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन के घरबारी होने का दावा गलत है क्योंकि खतियान में यह दोन III दर्ज है। अपीलकर्ता के बिक्री पट्टे में खाता संख्या 127 दर्ज है जबकि एस ए आर वाद खाता संख्या 115 की जमीन पर किया गया था। विवादित जमीन खाता संख्या 115 में है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी दाखिल किया है जिसमें मौखिक बहस के तथ्यों का ही उल्लेख है।

सम्बन्धित सभी कागजातों और बहस के आलोक में निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता ने 1974 में मो0 रसीद और मो0 शरीफ खान से क्रय किया। 1975 में उनके नाम से अंचल कार्यालय में अन्तरण भी हुआ और भू–लगान वे देते हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि 1958 के पट्टे में 'घर' होने का वर्णन है। लेकिन निम्न न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया और उन्हें सुनने का मौका नहीं किया गया।

अतएव अपील वाद स्वीकृत किया जाता है और यह वाद निम्न न्यायालय में पुर्नसुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

दिनांक–20.5.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।